न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/5140/2004/बीकानेर</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, पूंगल जिला बीकानेर

–अपीलार्थी

बनाम

1. मंजूर अली पुत्र हमीद खान
2. मु0 पारो बेवा हमीद खान
   समस्त जाति मुसलमान निवासी थारूसर तहसील पूंगल जिला बीकानेर

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्रीमती पूनम माथुर, अति. राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री बद्री प्रसाद, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 16.10.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, प्रथम बीकानेर के समक्ष एक वाद धारा 15एएए(2ए) एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 तथा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपीलार्थी एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कृषि भूमि चक 660–500 आर.डी. के मुरब्बा नम्बर 234/45, 234/46 एवं 234/53 की कुल 25बीघा भूमि बाबत् प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या–9 राजस्थान सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित चार विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 04–02–2003 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21–05–2004 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ

न्यायालयों ने पूर्व खसरा नम्बर 158/23 के बबात् प्रत्यर्थीगण के क्या अधिकार थे तथा उक्त पूर्व खसरा नम्बर वर्तमान में चक प्लान में किस प्रकार फिट हुआ, आदि बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय से वाद को डिक्री करने में एवं अपील को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथनहै कि पूर्व आवंटितयों के आवंटन निरस्त करने के निर्णय, जो साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये उसे आधारित कर राजकीय भूमि के गैर खातेदारी अधिकार प्रदान करने में विधि त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि वादी प्रत्यर्थीगण ने विवादित आराजी पर सम्वत् 2012 से काबिज काश्त होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में डिक्री योग्य नहीं था। योग्य राजकीय अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जाकर वादी प्रत्यर्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी, जिसकी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि करते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया गया है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उनका कथन है कि विवादित भूमि चक 660–500आर डी के मुरब्बा नम्बर 234/45, 234/46 एवं 234/53 में फिट हुआ है, जिस पर वादीगण का पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय वादीगण के पूर्वज

काबिज काश्त होने से विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी प्रस्तुत कर सम्वत् 2012 से काबिज काश्त होना प्रमाणित कराया गया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्ही तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं द्वितीय अपील के स्तर पर राज्य पक्ष की ओर से उठाये गये विधिक एवं तथ्यात्मक बिन्दुओं के मद्देनजर अपील को सुदढ आधार पर आधारित होना मानते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए देरी को क्षम्य किया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां, पारित निर्णयों एवं उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य तथा विचारण न्यायालय के समक्ष राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे में उल्लेखित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष गत खसरा नम्बर 158/23 से ही वर्तमान आराजी बनी है, इस बाबत् कोई मिलान क्षेत्रफल या सूची नम्बर 4 पेश नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता है कि गत खसरा नम्बर के वर्तमान चकबन्दी में कौन से मुरब्बा नम्बर एवं

किला नम्बर कायम किये गये। ऐसी स्थिति वादीगण का विवादित आराजी पर सम्वत् 2010 से निरन्तर कब्जा काश्त होना नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या–1 के निर्णय में विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा सम्वत् 2010 से मानते हुए उक्त तनकी को वादीगण के पक्ष में निर्णीत करने में विधिक त्रुटि कारित की है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष राज्य पक्ष की ओर से नायब तहसीलदार, उपनिवेशन तहसील पूंगल की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर उल्लेखित किया कि ग्राम थारूसर का 1955 की स्थिति तथा सम्वत 2012 से 2051 तक की रिकार्ड की स्थिति राजस्व तहसीलदार, पूंगल से ली जानी उचित होगी क्योंकि यह ग्राम थारूसर राजस्व तहसील में है। उक्त जवाबदावे में अंकित अनुरूप विचारण न्यायालय ने राजस्व तहसील, पूंगल से विवादित आराजी बाबत् सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त किये बिना वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया, जो दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवाय चक दर्ज थी, जिसे नियमानुसार विभिन्न व्यक्तियों को आवंटन भी हुआ है। हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयायें ने बिना किसी रिकार्ड के खसरा नम्बर 158/23 से ही विवादित आराजी बनना मासनकर सरसरी तौर पर सरकारी एवं आवंटित आराजी की खातेदारी प्रत्यर्थीगण को प्रदान कर निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है, इसलिए सम्वर्ती निर्णय उक्त कारण से विधिक अनुकूल प्रमाणित नहीं होते है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कराये बिना सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों व डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इन्दिरा गांधीनहर परियोजना, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2004 एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त (प्रथम) बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–02–2003 निरस्त किये जाते है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज करते हुए वाद दर्ज से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य